

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

31/7/19

पत्रावली पत्र इसी वकील मार्फत से स्याबिना पत्र की नोट प्रेश  
किया गया। स्याबिना पत्र को अब और पसाना नही पाहे है  
अतः स्याबिना पत्र नोट प्रेश में खारिज किया जागाई।  
पत्रावली कैरल सुमार डेकलुम्बलदे कमवे।

उपखण्ड अधिकार

इंगला

Not Pressed  
and  
J